


10/07/19

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता को 3 बार आवाज दिलायी गयी। यह आवाज न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

अतः वाद, वादी अदम हाजरी, अदम पैली में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दायित्व दफ्तर हो।


उपसज्ज अधिकारी
आनपुर जिला इलाकादार
(राजस्थान)